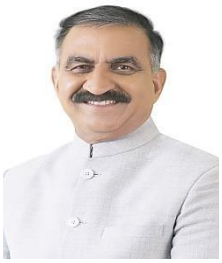

मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना

(80% सब्सिडी के साथ 100% राज्य प्रायोजित योजना)

कार्यान्वयन एजेंसी: मात्स्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश।

1. योजना की प्रकृति: 100% राज्य प्रायोजित। सभी श्रेणियों (एससी, एसटी, महिला, सामान्य आदि) के लिए सब्सिडी इकाई लागत का 80% होगी।

2. इकाई लागत: 1.0 हेक्टेयर जल क्षेत्र के निर्माण के लिए इकाई लागत 8.40 लाख होगी। इसी प्रकार 1.0 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए प्रथम वर्षीय आदान लागत 4.00 लाख होगी।

क्र0	योजना का नाम	इकाई लागत निर्माण	इकाई लागत (इनपुट)	कुल इकाई लागत	सब्सिडी (1.00 हेक्टेयर) 80%	सब्सिडी (0.05 हेक्टेयर) 80%
1	कार्प मत्स्य तालाब निर्माण	8.40 लाख/हेक्टेयर	4.00 लाख/हेक्टेयर	12.40 लाख/हेक्टेयर	9.92 लाख	0.496 लाख

(i) मछली तालाबों की न्यूनतम स्वीकार्य इकाई प्रति लाभार्थी 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र होगी।

(ii) अधिकतम स्वीकार्य इकाई प्रति लाभार्थी 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र होगी।

3. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:

(i) आवेदक संबंधित जिला/मत्स्य मंडल के मत्स्य पालन के उप निदेशक/मत्स्य पालन के सहायक निदेशक/वरिष्ठ मत्स्य पालन अधिकारी/मत्स्य पालन अधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन करेगा।

(ii) आवेदक के पास सभी ऋणभारों से मुक्त तथा स्कीम घटक की स्थापना के लिए उपयुक्त अपनी स्वयं की अपेक्षित भूमि होनी चाहिए। पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में, पट्टे की अवधि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए और पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को आवेदन में शामिल करना होगा।

(iii) लाभार्थी को आयु प्रमाण के रूप में मैट्रिक या कोई अन्य समान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) पहली प्राथमिकता बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निपटाया जाएगा।

(v) सभी लाभार्थी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (आधार लिंक्ड) जमा करेंगे। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता विवरण भी जमा करना अनिवार्य होगा |

(vi) परियोजना रिपोर्ट केवल संबंधित क्षेत्र/ जिला के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य अधिकारी (एसएफओ/एफओ) की सिफारिश पर ही स्वीकार की जाएगी। आवेदन संबंधित जिला / मत्स्य मंडल मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन के सहायक निदेशक/ उप निदेशक (एडीएफ/डीडीएफ) के पते पर जमा किया जाएगा|

(vii) नए आवेदकों को वरीयता दी जाएगी अर्थात् वे आवेदक जो मात्स्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के मौजूदा लाभार्थी नहीं हैं।

4. प्रकरणों की स्वीकृति: सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित जिला के मत्स्य पालन के उप निदेशक/ सहायक निदेशक प्रस्तुत मामलों के मंजूरी प्राधिकारी होंगे।

5. निर्माण सब्सिडी जारी करना: सब्सिडी 50% प्रत्येक की दो किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/ मत्स्य

अधिकारी/ उप निरीक्षक (मत्स्य) की सिफारिशों पर 50% कार्य पूरा होने पर जारी की जाएगी। अंतिम किश्त 100 प्रतिशत कार्य होने पर वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/ मत्स्य अधिकारी/ उप निरीक्षक (मत्स्य) तथा कनिष्ठ अभियंता की सिफारिश के उपरांत जारी की जाएगी|

6. प्रथम वर्ष की इनपुट सब्सिडी जारी करना: प्रथम वर्ष की इनपुट सब्सिडी संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/ मत्स्य अधिकारी/ उप निरीक्षक (मत्स्य) की सिफारिश पर जारी की जाएगी। लाभार्थियों को प्रथम वर्ष के इनपुट के पूर्ण बिल विभाग को प्रदान करने होंगे ।

7. मत्स्य पालन विभाग के साथ समझौता: परियोजना के पूरा होने पर लाभार्थी विभिन्न नियमों और शर्तों के बारे में विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। लाभार्थी परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा होने के बाद कम से कम सात साल तक इन मछली तालाबों का रखरखाव करेगा और इस अवधि के दौरान इन तालाबों में मछली पालन करेगा।

8. मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा निरीक्षण: मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कार्य के निष्पादन के दौरान या इसके पूरा होने के बाद किसी भी समय परियोजना का निरीक्षण कर सकते हैं ।

-हस्ता-

निदेशक एवम् प्रारक्षी (मत्स्य)

हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर